अखिल भारतीय सेवा संघ का संविधान

सोसायटी का नाम : अखिल भारतीय सेवा संघ

सोसायटी का मुख्य कार्यालय : 112 आर.एस.डी. कालोनी, सिरसा –125055 (हरियाणा)

सोसायटी का कार्य क्षेत्र : राष्ट्रीय स्तर पर।

आधारभूत स्तंभ : सेवा भावना, सेवा योजना, सेवा क्रियान्वयन, सेवा आकलन और सेवा समर्पण

अखिल भारतीय सेवा संघ जरूरतमंदों की सेवा के समर्पित एवं राष्ट्रीयता की भावना से ओत–प्रोत एक प्रमुख सामाजिक एवं गैर राजनीतिक संगठन है जो मानव एवं राष्ट्र सेवा में रूचि रखने वाले विभिन्न समुदायों के लोगों से बनाया गया हें जिसका मुख्य उद्देश्य सेवा कार्य करना है। अखिल भारतीय सेवा संघ देश के प्रत्येक राज्य, प्रत्येक शहर, प्रत्येक ग्राम व बस्ती तक पहुं कर सेवा कार्य में उन सभी महानुभावों का योजना लेना चाहता है जो निःस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए तत्पर हैं और ऐसे ही संगठन के माध्यम से सेवा करने वालों एवं जरूरतमंदों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए पुल की भूमिका निभाने में रूचि रखते हैं ताकि हर उस व्यक्ति तक पहुंचा जा सके जिसे सेवा की जरूरत हो तथा वह वास्तविक रूप से जरूरतमंद हो।

1. संघ का मुख्य उद्देश्यः

अखिल भारतीय सेवा संघ का मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करना होगा। संघ का कोई भी सदस्य या पदाधिकारी किसी लाभ के लिए कार्य नहीं करेगा। सभी सदस्य अवैतनि होंगे।

क) पर्यावर संतुलन के लिए सेवा कार्य करना।

ख) स्वच्छता ही सेवा है पर विभिन्न कार्यक्रम।

ग) स्वस्थ व्यक्ति, स्वसि समाज पर सेवा कार्य करना।

घ) राष्ट्रीय पर्वों पर विभिन्न कार्यक्रम।

च) शाखा अथवा प्रांत की भौगोलिक स्थिति एवं जरूरत को देखते हुए अन्य कोई भी सेवा कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है।

2. सदस्यता प्राप्त करने के नियम

क. सदस्य की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक हो

ख. सदस्य की सात्विक भावना हो

ग. सदस्य पर किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक मुकदमा/आरोप न हो।

घ. सदस्य भारतीय संस्कृति में पूर्ण विश्वास रखता हो

ड़. सदस्य समाज की सेवा करने का भावना रखता हो।

3. <u>सदस्यता रद्द करने के नियमः–</u>

क. असवैधानिक कार्य करने व संघ की प्रतिष्ठा व सम्मान पर चोट करने या किसी को दुर्भावना से प्रेरित करने पर सदस्यता रद्द की जा सकती है।

ख. समाज में अपराधिक कार्य करने पर भी सदस्यता रद्द की जा सकती है।

ग. सदस्यता शाखा के अनुमोदन पर रद्द करने का अधिकार प्रांतीय कमेटी व राष्ट्रीय कमेटी का होगा व इस उददेश्य के लिए कमेटी की कार्यकारिणी सभा में 2रु3 कुल संख्या उपस्थिति होना अनिवार्य है एवं उसकी 2/3 के प्रस्ताव पर मंजूरी होना अनिवाय्र है।

4. <u>सदस्यों का प्रवेश शुल्क</u>

क. सेवा सदस्य शाखा–

न्यूनतम राशि 1100/– (ग्यारह सौ रूपये) (अधिक राशि शाखा के अधिकार क्षेत्र में रहेगी। प्रवेश शुल्क जमा किए बिना संघ का सदस्य नहीं माना जाएगा। संविधान के मुताबिक निश्चित समय पर सदस्य प्रवेश शुल्क जमा करवाना अति आवश्यक है।

ख. सम्मानित सहयोगीः–

1. सेवा मित्र– 5100/– (पांच हजार एक सौ रूपये)
2. सेवा रत्न– 11,000/– (ग्यारह हजार रूपये)
3. सेवा डायमण्ड– 51000/– (इक्यावन हजार रूपये)
4. सेवा राष्ट्रीय गौरव– 1,00,000/– (एक लाख रूपये)

सेवा सदस्य या अन्य और भी नागरिक सम्मानित सहयोगी बन सकता है। सम्मानित सहयोगी राशि का 25 प्रतिशत शाखा को और 25 प्रतिशत प्रांत को 50 प्रतिशत केन्द्र को मिलेगा। बशर्ते की वह सम्मानित सदस्य की राशि केवल केन्द्र को मिलेगी और ऑनलाईन में केवल केन्द्र का ही बैंक खाता दिया जाएगा।

6. <u>प्रांत एवं राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग राशि</u> :–

शाखा के प्रत्येक सदस्य का वार्षिक सहयोग 150/– रूपये होगा जिसमें से 100/– रूपये प्रान्तीय को एवं 50/– रूपये राष्ट्रीय कमेटी को भेजना होगा।

7 <u>संस्थापक सदस्यः–</u>

सेवा सदस्य जो सेवा संघ के शाखा/प्रांत की स्थापना के समय पर होगे वही संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल किया जायेगा व संघ को अपेक्षित शुल्क का भुगतान कर

दिया गया हो। संस्थापक सदस्यों की संख्या शाखा स्तर पर कम से कम 11 (ग्यारह) होगी व प्रांतीय स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम 7 (सात) सदस्य होंगे।

8. <u>विशेष सदस्य</u>:–

राज्य, राष्टजीय व जिला स्तर पर अगर कोई मैरिट व प्रतिभावना व्यक्ति जिससे उसे सदस्य बनाने पर संघ को सेवा कार्यों के विस्तार में लाभ हो सकता है तो राष्ट्रीय कमेटी, प्रांतीय कमेटी व शाखा कमेटी द्वारा अपने स्तर पर बिना किसी शुल्क के संघ में शामिल किया जा सकता है। ऐसे सदस्य को वोट का अधिकार नहीं होगा।

9. <u>संघ की कार्यकारिणी का स्वरूप</u>:–

ब्रांच कमेटी कम से कम 11 सदस्यों से शाखा का गठन हो सकता है। शाखा में अधिकतम संख्या की कोई सीमा नहीं। 11 सदस्यों की कार्यकारिणी है अन्य सभी सेवा सदस्य होंगे। शाखा कमेटी की सदस्यों की संख्या अधिक होने पर 10 सदस्यों पर 2 सदस्य कार्यकारिणी में जोड़ा जा सकता है।

10. <u>शाखा के पद इस प्रकार होंगे</u> :–

1. शाखा संरक्षक
1. शाखा अध्यक्ष
2. शाखा उपाध्यक्ष–1
3. शाखा उपाध्यक्ष–2
4. शाखा सचिव
5. शाखा सहसचिव
6. शाखा कोषाध्यक्ष
7. शाखा सहकोषाध्यक्ष
8. शाखा प्रचार मंत्री
9. शाखा संगठन सचिव
10. शाखा सलाहकार

11. <u>प्रांतीय कार्यकारिणी</u>:–

1. सरक्षक
2. प्रांतीय अध्यक्ष–
3. प्रांतीय वरिष्ठ उप–प्रधान
4. प्रांतीय उप–प्रधान (इस पइ की संख्या 5 तक की हो सकती है)

5. प्रांतीय महासचिव

5. प्रांतीय सचिव (इस पर की संख्या 5 तक हो सकती है)

6. प्रांतीय संगठन सचिव

7. प्रांतीय कोषाध्यक्ष

8. प्रांतीय सह–कोषाध्यक्ष

9. प्राचार मंत्री

10. प्रांतीय कानूनी सलाहकार

प्रत्येक कार्यकारिणी सदस्य को कम से कम सेवा रत्न होना अनिवाय है एवं सेवा रत्ना की सहयोग राशि केवल प्रांत के पास ही रहेगी।

12. <u>प्रांतीय कोर कमेटी</u> :–

प्रांतीय कार्यकारिणी और प्रांत के जिलाध्यक्ष व जिला सचिव इसमें शामिल होंगे।

13. <u>प्रांतीय परिषद :–</u>

प्रांतीय कार्यकारिणी, सदस्य, जिलाध्यक्ष व जिला सचिव+ अखिल भारतीय सेवा संघ के शाखा के अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष शामिल होंगे।

14. <u>प्रांतीय आम सभा</u>:–

प्रांत के सभी सेवा सदस्यों का समूह प्रांतीय आम सभा कहलाएगा।

15. <u>राष्ट्रीय कार्यकारिणी</u>:–

1. राष्ट्रीय अध्यक्ष

2. राष्ट्रीय वरिष्ठ उप प्रधान

3. राष्ट्रीय उप प्रधान (इस पद की संख्या 5 तक हो सकती है)

4. राष्ट्रीय महासचिव

5. राष्ट्रीय सचिव (इस पद की संख्या 5 तक हो सकती है)

6. राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष

7. राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष?

8. राष्ट्रीय प्राचार मंत्री

9. राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार

10. राष्ट्रीय संगठन मंत्री

11. राष्ट्रीय सह –संगठन मंत्री

12. राष्ट्रीय सह–सचिव

13. राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य (इस पद की संख्या 5 तक हो सकती है)

14. राष्ट्रीय महिला प्रमुख

15 राष्ट्रीय सम्पति सलाहकार

कुल राष्ट्रीय कमेटी संख्या 15+15 +संरक्षक : 31 सदस्य

16. राष्ट्रीय कोर कमेटीः—

राष्ट्रीय कार्यकारिणी व प्रांतीय अध्यक्ष कोर ग्रुप के सदस्य होंगे।

17. राष्ट्रीय परिषद :—

राष्ट्रीय कमेटी का कार्यकारिणी व प्रांतीय अध्यक्ष, प्रांतीय सचिव व प्रांतीय कोषाध्यक्ष होंगे।

18. राष्ट्रीय आम सभाः—

राष्ट्रीय आम सभा में प्रत्येक सेवा सदस्य राष्ट्रीय आम सभा का सदस्य होगा।

19. राष्ट्रीय परिषद की सभाः—

राष्ट्रीय परिषद की सभा कम से कम एक वर्ष में एक बार होगी। राष्ट्रीय कमेटी की जनरल हाउस की सभा जिसे हम अधिवेशन भी कह सकते है है 5 वर्ष से कम से कम एक बार राष्ट्रीय कमेटी द्वारा निश्चित स्थान पर होगी, जिसमें शाामिल होने के लिए डैलीगेट शुल्क भी जमा कराने का प्रावधान होगा, जो भी राष्ट्रीय कमेटी निश्चित करेगी।

20. कार्यकारिणी की मीटिंग :—

क.	हाथ की कार्यकारिणी की मीटिंग	मासिक
ख.	प्रांतीय कार्यकारिणी की मीटिंग	त्रैमासिक
ग.	राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग	त्रैमासिक/छह माह

21. आम सभा की बैठकः—

शाखा की आम कम से कम त्रैमासिक

प्रांत की आम सभा कम से कम तीन वर्ष में एक बार

राष्ट्रीय आम सभा कम से कम पांच वष्र में ए बार

इन सभी मीटिंग में सदस्यों को अपने विचार रखने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होगी। अगर इन मीटिंग में लगातार 3 मीटिंग में सदस्य सूचना दिए बैर गैरहाजिर रहता है तो अध्यक्ष की अनुमति से किसी दूसरे को लिया जा सकता है।

22. मीटिंग की उपस्थिति व कोरमः—

कम से कम कुल संख्या का 1/3 उपस्थिति अनिवार्य है। प्रस्ताव के लिए उपस्थित सदस्यों को सहमति 1/2 होगी। शाखा की आम सभा बुलाने के लिए सभी सदस्यों को कम से कम

1 दिन पूर्व सूचित करना होगा। प्रांतीय व राष्ट्रीय मीटिंग के लिए 7 दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को सूचना पत्र ीाजना होगा। इसके अलावा ब्रांच स्तर, राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष को आपातकालीन मीटिंग बुलाने का अधिकार होगा।

23. <u>किसी भी समस्या का निदान</u>:–

संघ की कार्यकारिणी या राष्ट्रीयकौंसिल में होगा। संघ का प्लेट फार्म ही आखिरी न्यायालय होगा। कोई भी सदस्य कानूनी कार्य के लिए न्यायालय नहीं जा सकता। आखिरी न्यायालय संघ की कौंसिल ही होगी। यदि कोई सदस्य न्यायालय में जाता है उसकी प्रारिम्भक सेवा सदस्यता नोटिस देकर समाप्त कर दी जाएगी।

सर्वप्रथम शाखा स्तर पर होगा, फिर प्रांतीय स्तर पर आवश्यकता पड़ी तो राष्ट्रीय स्तर पर संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय कौंसिल में होगा।

24. <u>राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन</u>:–

राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन के लिए राष्ट्रीय परिषद के द्वारा होगा जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रांतीय अध्यक्ष, सचिव व प्रांतीय कोशाध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय कमेटी का चुनाव सर्वसम्मति से या मताधिकार से होगा। चुनाव अधिकारी समय पर निश्चि किया जाएगा। राष्ट्रीय कमेटी का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। लेकिन लगातार तीन टर्म तक उसी पद पर रहह सकते हैं।

क. शाखा कमेटी का चुनाव सभी सदस्य करेंगे जो कि शाखा के सदस्य होंगे।

ख. प्रांतीय कमेटी का चुनाव प्रांतीय परिषद के सदस्य करेंगे। प्रांतीय कमेअी का चुनाव अधिकारी, प्रांत से या राष्ट्रीय कमेटी द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

25. <u>कार्यकाल</u>:–

शाखा कमेटी का कार्यकाल 1 वर्ष (लगातार 3 वर्ष तक रह सकता है यदि साल दर साल चुनी जाये।)

प्रांतीय कमेटी – 3 वर्ष (लगातार 3 समयावधि तक रह सकता है। यदि हर बार वही टीम चुनी जाये।)

राष्ट्रीय कमेटी– 5 वर्ष (लगातार 3 समायावधि तक रह सकता है यदि हर बार वही टीम रहती है।)

इसके अलावा किसी भी कमेटी के असंवैधानिक कार्य करने पर शाखा कमेटी को प्रांतीय कमेटी व प्रांतीय कमेटी को राष्ट्रीय कमेटी कभी ीाी भंग कर सकती है।

26. <u>शाखा र्काकारिणी के अधिकार</u>:–

क. शाखा अध्यक्षः–

शाखा अध्यक्ष संविधा के मुताबिक शाखा कमेटी की सहमति से कार्य करेगा व राष्ट्रीय कमेटीय, प्रांतीय कमेटी द्वारा भेजे गए सेवा कार्य को कार्यान्वित करेगा।

ख. शाखा कोषाध्यक्षः–

शाखा का उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करेगा, वित्तिय कार्यों को छोड़कर।

ग. शाखा सचिवः–

शाखा सचिव, शाखा अध्यक्ष के द्वारा कमेटी के सर्वसम्मति से पास किसी भी प्रस्ताव को लागू करेगा व सेवा कार्य के अलावा कमेटी की मीटिंग बुलाना व आयोजन करना, पत्राचार कार्य करना, सभी सदस्यों को सभी कार्यों की सूचना देना अर्थात दप्रधान की अनुमति व सलाह से प्रांतीय व राष्ट्रीय कमेटी द्वारा दिये किसी सेवा कार्य कोसम्पन्न करवाना होगा।

घ. शाखा कोषाध्यक्षः–

अखिल भारतीय सेवा संघ के वित्तिय कार्यों को करना, शाखा में जमा हुए सदस्य शुल्क, दान व हर प्रकार की सम्पति का लेखा जोखा रखना। आय व व्यय का खाता तैयार करना व समय–समय पर आर्थिक स्थिति का विश्षेण कर प्रधान को सूचित करना। शाखा कोषाध्यक्ष बैक में अखिल भारतीय सेवा संघ का खाता खुलवाना और अधिक से अधिक लेन–देन खाते के द्वारा करना। 5 हजार रूपये के ऊपर की अदायगी चैक के द्वारा होगी। विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष की अनुमति से नगद भुगतान किया जा सकता है। बैंक के प्रधान के अलावा कोषाध्यक्ष व महासचिव दोनों में से एक हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा।

अन्य सभी कार्यकारिणी के सदस्यों को शाखा सचिव अपने शाखा अध्यक्ष की अनुमति से कोई भी सेवा कार्य दिया जा सकता है।

27. <u>जिलाध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य</u>ः–

संविधान के मुताबिक जिले की पांच शाखाओं की देखरेख करना। उनसे प्रांतीय कमेटी द्वारा भेजी गई सेवा योजनाओं को शाखाध्यक्ष से सलाह कर लागू करवाना।

क. प्रांतीय अध्यक्ष के अधिकार व कर्त्तव्य

राष्ट्रीय कमेटी द्वारा भेजे गए सभी सेवा कार्यों को संविधान के मुताबिक लागू करवाना व समय–समय पर योजनाओं की जानकारी राष्ट्रीय कमेटी को देना व निश्चित समय पर प्रांतीय अधिवेशन बुलाना।

ख. प्रांतीय महासचिव के अधिकार व कर्त्तव्य

प्रांतीय अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय कमेटी द्वारा भेजे गए सभी सेवा कार्यों को लागू करवाना, सभाएं बुलाना, पत्राचार करना, समयसय पर सारी स्थिति से अध्यक्ष को अवगत करवाना।

ग. प्रांतीय कोषाध्यक्ष के अधिकार व कर्त्तव्य

प्रांतीय कोषाध्यक्ष शाखाओं द्वारा जमा राशि का हिसाब रखना व खर्चों का ब्यौरा मना कर वार्षिक अधिवेशन में रखना व आर्थिक स्थिति के बारे में अध्यक्ष को वगत करवाना। अन्य सभ्झी ार्यकारिणी के सदस्यों को प्रांतीय महासचिव अपने प्रांतीय अध्यक्ष की अनुमति से कोई भी सेवा कार्य दिया जा सकता है।

29. राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिकार

क. राष्ट्रीय अध्यक्ष के अधिकार व कर्त्तव्य

राष्ट्रीय कमेटी द्वारा किसी भी सेवा कार्य को योजना को सभी शाखाओं को भेजना व सहयोग देकर योजना को कार्यान्वित करवाना व समय–समय पर संविधान के मुताबिक निर्देश जारी करना। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर अधिवेशन बुलाकर अखिल भारतीय को निर्देश भेजना। इसके अलावा शाखा व प्रांतीय स्तर पर समस्याओं को सुलझाना।

ख. राष्ट्रीय महासचिव के अधिकार व कर्त्तव्य

अखिल भारतीय सेवा संघ राष्ट्रीय कमेटी द्वारा नाये गये किसी भी सेवा कार्यों को शाखाओं को सूचित करना व लागू करवाना व शाखाओं की प्रत्येक गतिविधि को राष्ट्रीय कमेटी तक पहुंचाना व प्रांतीय अधिवेशन, पत्राचार व प्रशासनिक कार्यों को पूरा करना।

ग. राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के अधिकार व कर्त्तव्य

राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रांत व शाखाओं द्वारा जमा राशि का हिसाब रखना व खर्चों का ब्यौरा बना कर वार्षि अधिवेशन में रखना व आर्थिक स्थिति के बारे में अध्यक्ष को अवगत करवाना। अन्य सभी कार्यकारिणी के सदस्यों को राष्ट्रीय महासचिव अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति से अवगत करवा सकते हैं।

30. <u>खुदरा नकदी</u>:–

	<u>प्रधान</u>	<u>महासचिव</u>	<u>कोषाध्यक्ष</u>
शाखा	5000रू.	5000रू.	5000 रू.
राज्य	10000रू.	10000रू.	10000रू.
राष्ट्रीय	15000रू.	15000रू.	15000रू.

जिस प्रकार अखिल भारतीय सेवा संघ के लोगों से विदित है कि संघ के पां

सभी कमेटी के पदाधिकारियों को ऊपरलिखित नकद राशि रखने का अधिकार होगा।

31. संघ का वार्षिक कलैण्डरः—

जनवरी से दिसम्बर तक होगा 31 दिसम्बर को ही शाखा, प्रांतीय , राष्टीय स्तर पर वार्षिक खाता पटल पर रखा जायेगा और चुनाव करवाकर नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा।

32. संघ की सम्पत्ति का क्रयः—

संघ की किसी भी प्रकार की सम्पत्ति का क्रय का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पपास होगा व किसी भी सम्पत्ति का विक्रय 3/4 बहुमत से प्रस्ताव पास होगा जिसमें शाखा, राज्य व राष्ट्रीय कमेटी के अध्यक्ष के नाम होगा व व्यक्तिगत नाम से नहीं होगी। विक्रय के समय राष्ट्रीय परिषद से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।

33. सम्मान व पुरस्कारः—

प्रांच राज्य व राष्ट्रीय कमेटी के विशेष सेवा कार्यों में समर्पित समाजसेवा जिस का नाम ब्रांच व राज्य कमेटी द्वारा राष्ट्रीय कमेटी को भेजा गया हो राष्ट्रीय कमेटी उस व्यक्ति को सम्मानित कर सकती है।

34. अखिल भारतीय सेवा संघ के उद्देश्य व सेवा का प्रारूपः—

जिस प्रकार अखिल भारतीय सेवा संघ के लोगों से विदित है कि संघ के पांच स्तम्भ, सेवा भावना, सेवा योजना, सेवा क्रियान्वयन, सेवा आंकलन और सेवा समर्पण।

क. सर्वप्रथम सेवा का प्रारूप तैयार करना होगा कि संघ का सेवा रूप क्या हो। जैसे पौधारोपण, स्वच्छता अभियान चलाना अर्थात संघ के सदस्यों में पहले सेवा की भावना का संचार करना होगा।

ख. सेवा का स्वरूप तैयार करने के बाद संघ उस सेवा की योजना बनाककर सभा में पास करवाना।

ग. सेवा आंकलन का भाव है संघ उस सेवा व योजना को कैसे क्रियान्वित करना कितना बजट होगा, क्या संघ की अर्थव्यवस्था के मुताबिक है या नहीं। बजट के बारे में चर्चा कर उसे यर्थाथ रूप देना होगा।

घ. अगला रूप है उस योजना को क्रियान्वित करना अथ्रत क्रियान्वित करने के लिए संघ के पदाधिकारी उसे किस प्रकार सफल बनायेंगे।

ड़. पाँचवां स्तम्भ है सम्पूर्ण की भावना किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए सदस्यों में संपूर्ण की भावना होना आवश्यक है। राष्ट्रीय कमेटी, प्रांतीय कमेटीख शाखा कमेटी इन पांच स्तम्भों पर कार्य करेगी।

35. इसके अलावा मुख्य कार्य संघ द्वारा निश्चित है जिनको लेकर समाज सेवा कनी है ।

क. पर्यावरण संतुलन के लिए कार्य करना

ख. स्वच्छता ही सेवा है पर विभिन्न कार्य करना

ग. स्वस्थ समाज के लिए समाज को जागरूक करना

घ. समाज में व्यक्तित्व विकास पर कार्यक्रम

ड़. राष्ट्रीय पर्व पर कार्यक्रम करना

कोई भी सेवा कार्य प्रांतीय, राष्ट्रीय कमेअी की इजाजत व जानकारी से होगी।

36. सेवा कार्य की योजना को पूर्ण करने हेतु वित्तिय कोष का प्रबंध :–

किसी भी योजना को पूर्ण करने के लिए शाखा कमेटी द्वारा वित्तिय प्रबंध किया जायेगा व अधिक बजट की स्थिति में शाखा कमेटी वित्तिय समस्या के हल हेतु प्रांतीय व राष्ट्रीय कमेटी से सहायता मांग सकती है लेकिन योजना हेतु वित्तिय कोष की व्यवस्था शाखा को ही करनी होगी

निष्कर्ष :–

समाज के उत्थान हेतु समय–समय पर संसीाओं का उदय होता है और समाज में सेवा करने वाले समाजसेवियों द्वारा एक अच्छे समाज का निर्माण किया जाता है। अखिल भारतीय सेवा संघ भी ऐसा ही संकल्प लेकर समाज की कुरीतियों को दूर करने व समाज को मर्यादित संस्कार युक्त बनाने के लिए प्रयासरत होगा। संघ का सेवा भावना, सेवा योजना, सेवा क्रियान्वयन, सेवा आकलन ओर सेवा समर्पण के पांच स्तम्भ को लेकर समाजसेवा के लिए उदय हुआ है जिस पर अखिल भारतीय सेवा संघ के प्रत्येक सदस्य खरा उतरेगा।

प्रांतीय कमेटी :–

राष्ट्रीय संयोजक/प्रांतीय संअध्यक्ष	श्री इन्द्र गोयल
प्रांतीय संरक्षक	श्री योगेश बिदानी
प्रांतीय अध्यक्ष	श्री इन्द्र गोयल
प्रांतीय उपाध्यक्ष	श्री महेन्द्र सेतिया
प्रांतीय महासचिव	श्री विनोद धवन
प्रांतीय कोषाध्यक्ष	श्री राम चन्द्र गुप्ता
प्रांतीय सचिव	श्री सुमन मित्तल

डॉ राजेश सिंगला

प्रांतीय संयोजक	श्री शमशेर बिश्नोई,
	श्री सुधीर धवन
प्रेस प्रवक्ता	श्री राजेन्द्र सपरा
प्रांतीय महिला प्रमुख	श्रीमती रमी गुप्ता
जिलाध्यक्ष हिसार	डॉ. तिलक राज आहूजा
जिलाध्यक्ष सिरसा	सुरेन्द्र सरदाना एडवोकेट
संविधान संयोजक	श्री के.के. शर्मा

शपथः–

अखिल भारतीय सेवा संघ के सभी सदस्यों व पदाधिकारियों को चुने जाने पर संविधान के मुताबिक सभी मूलभत नियमों के लिए मुताबिक चलने हेतु व आंतरिक क्रियाकलापों को गुप्त रखते हुए शपथ लेनी होगी कि :–

''मैं सेवा संघ के सभी नियमों की पालना करूंगा। उक्त कमेटी के निर्देशानुसार कार्य करूंगा व मन में सेवा का भाव लेकर संसाि द्वारा सौंपे हुए दायित्व को पूण्र करने हेतु तन–मन–धन से प्रायास करूंगा।''